राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

आबाकरी निगरानी संख्या–1732/2016/अजमेर

रीटा मटाई पुत्र स्व. श्री आवतसिंह मटाई जाति सिन्धी
निवासी–16/703,मदारगेट कवण्डसपुरा, अजमेर — अपीलार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिए आयुक्त,आबकारी राजस्थान,उदयपुर
2.जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर — प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य.

उपस्थितः

श्री मुकेश भार्गव
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के. अजमेरा एवं श्री गिरवर शर्मा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 21.02.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9क के अन्तर्गत आयुक्त, आबकारी, राजस्थान, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.29(बी)अपील/12/आब/2016/238 दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने दिनांक 18.02.2016, 16.03.2016 एवं 17.03.2016 को अपीलार्थी को निर्देश दिए कि उनके द्वारा माह जनवरी एवं फरवरी, 2016 में एकाकी विशेषाधिकार राशि माह जनवरी में रू. 10,08,078/– एवं माह फरवरी में रू. 10,84,185/–की कमी रखी गई है, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा माह जनवरी के पेटे 5,57,000/– एवं माह फरवरी के पेटे रू. 6,32,030/–नगद जमा करवाये गये। शेष राशि रू. 4,51,078/– व ब्याज रू. 4,52,173/– की वसूली शेष बतलायी गई। माह जनवरी एवं फरवरी, 2016 की कमी रू. 9,04,346/– रू. जमा कराने के निर्देश अपीलार्थी को दिये गये । नोटिस दिनांक क्रमांक देशी मदिरा/अजमेर वा.नं. 29/सं.संख्या 6/2015–16/922 दिनांक 17.03.2016 क विरूद्ध आयुक्त, आबकारी, राजस्थान, उदयपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 9–ए के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कमी रू. 9,04,346/– का 75 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण अपील को ग्राह्य नहीं मानते हुए अपील निरस्त कर दी।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड में आयुक्त, आबकारी, राजस्थान, उदयपुर के आदेश दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करते समय कमी राशि 9,04,346/–का 75 प्रतिशत राशि रू. 6,78,300/–जरिए ई चालान दिनांक 19.09.2016 को जमा करवा दी गई है। अतः जिस आक्षेप के आधार पर आयुक्त, आबकारी, राजस्थान, उदयपुर द्वारा अपील ग्राह्य

नहीं मानी गयी है, उसकी पूर्ति कर दी गई है। अतः उन्होंने निगरानी को गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु आयुक्त, आबकारी, राजस्थान, उदयपुर को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी ने आयुक्त, आबकारी, राजस्थान, उदयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय कमी राशि का 75 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण अपील को ग्राह्य नहीं मानकर अपील निरस्त की गई है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने कथन किया कि बाद में कमी राशि का 75 प्रतिशत जमा करवाने के आधार पर निगरानी प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनियम की धारा 9(ए)(1) के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। धारा 9ए(1) उद्धरित करना समीचीन होगा –

9A. Appeals & Revision - (1) An appeal shall lie -

(a) to the Excise Commissioner from any order passed by an Excise Officer under this Act, and

(b) to the Division bench of the Rajasthan Tax Board constituted under Sec. 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal.

Provided that no appeall shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactroy proof of pamyment of 75% of the amount of the demand created by the order appealed against

रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कमी राशि रू. 9,04,346/–का 75 प्रतिशत राशि रू. 6,78,300/–जरिए ई चालान दिनांक 19.09.2016 जमा करवा दी गई है, जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः निगरानी आयुक्त, आबकारी, राजस्थान, उदयपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष